(18) (17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 557–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2004 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 277/अपील/2001–02

.....

1–सजनबाई विधवा रामसिंह
2–लालसिंह पिता बालूसिंह दत्तक पुत्र रामसिंह
अवयस्क बसरपरस्ती सजनबाई पिता हितेच्छू नानीमां खुद,
निवासी ग्राम मदकोटा बडौद जिला शाजापुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मानकुवंरबाई पत्नि गोर्धनसिंह पुत्री रामसिंह,
निवासी परसपुरा
2–भगतबाई पत्नि उंकारलाल पुत्री रामसिंह
निवासी ग्राम कचानारा तेह गंगधार जिला आलाबाद(राज.)
3–शानकुवंरबाई पत्नि बालूसिंह
निवासी ग्राम कचानारा तेह गंगधार जिला आलाबाद(राज.)
4–अमृतकुवंर पत्नि शिवसिंह पुत्री रामसिंह
निवासी ग्राम बापचा बडौर
5–भुवानी सिह पुत्र गोपालसिंह
निवासी मदकोटा तेह बडौद जिला शाजापुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0सी0बंसल, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मदकोटा स्थित भूमि खाता कमांक 383 कुल किता 2 रकबा 1.15 हेक्टेयर व खाता कमांक 384 कुल किता 20

रकबा 6.30 हेक्टेयर भूमि रामसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । दिनांक 10–10–2000 को रामसिंह की मृत्यु होने के उपरांत अनावेदक कमांक 1 द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र पटवारी के समक्ष प्रस्तुत कर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया । अनावेदक कमांक 5 द्वारा नामान्तरण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी द्वारा निराकरण हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 08–05–2001 को आदेश पारित कर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–12–2001 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण विधिवत् निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–1–2004 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष अनोवदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर आवेदकगण के पक्ष में नामान्तरण किये जाने हेतु सहमति दी गई है, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपील न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् उभयपक्षों की सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है और तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामान्तरण करने में अनावेदकगण द्वारा सहमति दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण के समय अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और अनावेदक कमांक 5 की आपत्ति पर प्रकरण में कार्यवाही की गई है, ऐसी स्थिति में अनावेदक कमांक 1

लगायत 4 को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक भूमिस्वामी रामसिंह की भूमि पर नामान्तरण करने से पूर्व उसके सभी वारिसों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 08–05–2001 निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर हित रखने वाले समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने व मूल दस्तावेजों का परीक्षण कर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने के आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2004 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर